संशोधन आदेश

संख्या- 209 / 2022 / 2634 / चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2022

विषय:- ग्राम सालेहनगर, परगना व तहसील- मलिहाबाद, जनपद लखनऊ स्थित भूमि देव स्थान घटघटा बाबा पर प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 198/2022/2477/चार-2022 दिनांक 15 नवम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 198/2022/2477/चार-2022 दिनांक 15 नवम्बर, 2022 के प्रथम प्रस्तर में 'रू0 151.83 लाख (रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति' के स्थान पर 'रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति' पढ़ा जाय।

3. शासनादेश संख्या- 198/2022/2477/चार-2022 दिनांक 15 नवम्बर, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 209 /2022 / 2634 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in